

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/07/46.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/7/8 दिनांक 26-07-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27.07.2020 द्वारा जिला कबीरधाम में विद्यमान 60 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 29 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कबीरधाम के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/ 2019/7/9 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला कबीरधाम की समितियों के पुनर्गठन हेतु 13 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 30-09-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 द्वारा 06 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 07 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/ 2019/7/8 दिनांक 26-07-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 12-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला कबीरधाम में विद्यमान 60 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 30 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कबीरधाम की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची-एक

क्रं.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्यादित चारभाठा, पं.क्र.2055	मेहनपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या0 धरमगढ़, पं.क्र. 1688
2	सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव, पं.क्र. 1482	मजनुकांपा, कोयलारीकांपा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुम्ही, पं.क्र.1739

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिरकोना, पं.क्र.891	1. सेवा सहकारी समिति मर्यादित धरमपुरा	धरमपुरा, मानिकचौरी
2	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पनेका, पं.क्र. 27	2. सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोसमंदा	कोसमंदा, चुचरुंगपुर, चोरभट्टी, बाघामुड़ा, हीरापुर
3	सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुरीगुड़ा, पं.क्र. 1118	3. सेवा सहकारी समिति मर्यादित कृतबांधा	कृतबांधा, कोयलारी, कोयलारीडीह, धनौरा, धौराबंद, भानपुर, मथानीकला, मथानीखुर्द
		4. सेवा सहकारी समिति मर्यादित चचेड़ी	अमलीडीह, चचेड़ी, दुनुपार, फांदातोड़, बिपतरा, बिटकुलीखुर्द, सिंघनपुरी
4	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 मड़मड़ा, पं.क्र. 3036	5. आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 भलपहरी	अचानकपुर, कबराटोला, बोईरकछरा, भलपहरी, महली
5	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 खैरबनाकला, पं.क्र. 890	6. आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 महाराजपुर	महाराजपुर, कांपा, जीताटोला, डंगनिया
6	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 चिल्फी, पं.क्र.2021	7. आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 झलमला	झलमला, कोकदा, जामुनपानी, झरपट, दादूटोला, प्रभुझोला, सुन्हाडबरा, सोनवाही, बोल्दा, सिलियारी (बंदुकुंदा), बोदलपानी, मछियाकोन्हा, मुड़वाही, लरिया, शीतलपानी
		8. आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 समनापुर	समनापुर, अगरी, अंजना, उमरिया, कुमान, तितरी, दरिया, तरमा, सुतिया, अड़वार, सुपखार, नगवाही, नंदिनी, प्लाटरोल, बरबसपुर, बम्हनी, रोल, लहबर
7	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 रेंगाखारकला, पं.क्र. 2031	9. आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्या0 उसरवाही	उसरवाही, गिधनखार, डोंगरिया, पंडरिया, बहेराखार, भिंभौरी, भेलवाटोला, लोहारीडीह, निवासपुर, खारा
8	सेवा सहकारी समिति मर्या0 महली, पं.क्र. 1089	10. सेवा सहकारी समिति मर्या0 बघर्गा	डबरी, बघर्गा, बीजामाठा, भुवालपुर, भैसबोड़, महका
9	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पौनी, पं.क्र. 1152	11. सेवा सहकारी समिति मर्या0 खैरझिटीनया	खैरझिटीनया, नवागांव(मु), नरौली, नेउरगांव, प्राणकांपा, कोडापुरी, तोरला
10	सेवा सहकारी समिति मर्या0 दशरंगपुर, पं.क्र. 1527	12. सेवा सहकारी समिति मर्या0 पांडातराई	पांडातराई, डोंगरियाकला, चरखुराकला, नवागांवकला, सरईपतेराकला
11	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रुसे, पं.क्र. 1534	13. सेवा सहकारी समिति मर्या0 कोलेगांव	कोलेगांव, खैलटुकरी, घोरपेण्डी, बसनी, रेंहुटाकला, सुरजपुराखुर्द
12	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुम्ही, पं.क्र. 1739	14. सेवा सहकारी समिति मर्या0 पेण्डीकला	पेण्डीकला, खैरवारकला, रांपा, हथमुड़ी
		15. सेवा सहकारी समिति मर्या0 बोड़तराखुर्द	खरहटटा, बेलमुड़ा, केसलमरा, छीतापार, नवागांव(ग), बोड़तराखुर्द
13	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुण्डा, पं.क्र.3093	16. सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुंवामालगी	अकबरकांपा, अमलीमालगी, कंझेटा, कुंवामालगी, पथरी, मोतेसरा, सेमरकोना, सोमनापुर, कंझेटी, कोयलारीकला, सैहामालगी, भटरुसे
		17. सेवा सहकारी समिति मर्या0 दामापुर	नवागांव खगेश, निंगापुर, मौहामड़वा, अतरियाखुर्द, खैरातुलसी, धिकुड़िया, बहबलिया, बम्हईपुर, जैतपुरी, पंचधार, पवरजली, पटुवा, प्राणखैरा, बशापुर, टाटाकसा, दामापुर, बिपतपुर, आमादाह, कोदवाकला, गोबर्गा
		18. सेवा सहकारी समिति मर्या0 सुकलीगोविंद	कंवलपुर, खुंटा, डोंगरियाखुर्द, ढोलाकांपा, देवगढ़िया, भरेवापूरन, सुकलीगोविंद
14	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बाघामुड़ा, पं.क्र. 2117	19. सेवा सहकारी समिति मर्या0 दुल्लापुर	उदका, अमलडीहा, दुल्लापुर, नरसिंहपुर, बिझौरी, भदराली, लालपुरखुर्द, गौरकांपा, घुटुरकुण्डी
15	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुरुवा, पं.क्र. 1244	20. सेवा सहकारी समिति मर्या0 सुरजपुरा	कनवाटोला, बिगारभरी, बोटेसुर, मोतिमपुर, भेण्डरा, सुरजपुरा, पवनतरा, भादूटोला, सिंघनपुरी (जं), पिरचाटोला, खोलवा, टाटावाही, धनौरा, पेंड्रीतराई, रेंदाखाम्ही, रानीदहरा

16	सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिडौरा, पं.क्र. 1400	21. सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव	सरईपतेरा, सोनझरी, नवागांव, कटोरी, कुम्हारी मोहगांव, गठखम्हरिया, बीजाबैरागी, कोटराबुंदेली, खैरबना, बरगांव, बीसाटोला
17	सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोलोहारा, पं.क्र. 1692	22. सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिरनपुरकला	बिरनपुरकला, तालपुर, उड़ियाकला, उड़ियाखुर्द, कारेसरा, कुम्हारदनिया, चिलमखोदरा, बनिया, बुधवारा
18	सेवा सहकारी समिति मर्यादित धरमगढ़, पं.क्र. 1688	23. सेवा सहकारी समिति मर्यादित विरेन्द्रनगर	नवघटा, पटपर, विरेन्द्रनगर, रेगाटोला, सबराटोला, दरीगांव, दारगांव, नवागांवखुर्द, सुरजपुरा
19	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया, पं.क्र.888	24. सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोको	बैजलपुर, सिंघनपुरी, मक्के, मानपुर, छांटा, सेमो, कोको
20	सेवा सहकारी समिति मर्यादित मरका, पं.क्र. 1123		आंछी, दलपुरवा, पथर्रा, बानो, जोगीपुर, खैरवार
21	सेवा सहकारी समिति मर्यादित किषुनगढ़ पं.क्र. 2398	सेवा सहकारी समिति मर्यादित रमतला	पेण्डीखुर्द, रमतला, मोहतरा, सिरमाडबरी, झिरियाखुर्द, सारूपारा

अनुसूची-तीन

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	सेवा सहकारी समिति मर्यादित बचेड़ी, पं.क्र. 994	बेलहारी बड़ौदाकला, बड़ौदाखुर्द, बितली, देहानडीह, सहसपुर, गांगपुर, सोनपुर, सिंगारपुर, भटैलाटोला, नवागांव, गुलालपुर, पड़कीपारा, कौहापानी	सेवा सहकारी समिति मर्यादित सहसपुर लोहारा, पं.क्र. 1692 —	— 1. सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़ौदाकला
2	सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजानवागांव, पं.क्र. 926	रघुपारा, बदो, बिसनपुरा ढोंगईटोला, अचानकपुर	सेवा सहकारी समिति मर्यादित खैरबनाखुर्द, पं.क्र. 925 —	— 2. सेवा सहकारी समिति मर्यादित रौचन
3	सेवा सहकारी समिति मर्यादित लालपुरकला, पं.क्र. 18	मन्नाबेदी, बरभांवर, सरेखा, अमरौडी, बरहट्टी, बरकोही, सेवईकछार, रौचन	—	—
4	सेवा सहकारी समिति मर्यादित झिरौनी, पं.क्र. 21	कुटेली जिन्दा, कुटकीपारा, दुबहा, भेदली, मिरमिटटी, थुहाडीह	सेवा सहकारी समिति मर्यादित बम्हनी, पं.क्र. 17 —	— 3. सेवा सहकारी समिति मर्यादित जिन्दा
5	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्यादित चांटा, पं.क्र. 2209	लखनपुर भेड़ागढ़, परसेलखार, पण्डीखार	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुकदूर, पं.क्र. 1965 —	— 4. आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्यादित कामटी
6	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुकदूर, पं.क्र. 1965	कामटी, मुनमुना, कमराखोल, गोर्गाकोन्हा, बंदौरा, सैगोना, पिपरहा, सिंगपुर, मुनगाडीह, कड़मा, माठपुर	—	—
7	आ.जा.सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोदवागोडान, पं.क्र. 2383	भड़गा, डालामौहा मलकछरा, अमरपुर, खैरडोंगरी, छीरपानी, निहालपुर, बाघरायटोला, मदनपुर, सरैहा, सनकपाट, सरईसेत	—	5. आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्यादित सरईसेत